उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradsesh Undertaking)

CIN-U32201UP1999SGC024928

संख्या–1457–पें0एण्डआर0–28/पाकालि/18–37–पें0एवंआर0/2015, दिनांक 17 दिसम्बर, 2018

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यॉचल विद्युत वितरण निगम लि0,
पश्चिमॉचल विद्युत वितरण निगम लि0,
दक्षिणॉचल विद्युत वितरण निगम लि0,
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
लखनऊ/मेरठ/आगरा/वाराणसी,
केस्को, कानपुर

विषय : प्रत्येक वर्ष 17 दिसम्बर को प्रत्येक जनपद में पेंशनर्स दिवस आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 शासन के वित्त सामान्य अनुभाग–3 के कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या–13/2015–सा–3–631/दस–2015–944/88, दिनांक 24.06.2015 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा प्रत्येक वर्ष 17 दिसम्बर को प्रदेश के प्रत्येक जनपद में पेंशनर्स दिवस आयोजित करने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। विभिन्न पेंशनर्स संगठनों ने सामान्यतः इस आशय की शिकायत की कि पेंशन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रायः विभिन्न कार्यालयों के अधिकारीगण प्रतिभाग नहीं करते हैं जिसके कारण न केवल पेंशनर्स की समस्याओं के निस्तारण में कठिनाई हो रही है अपितु पेंशनर्स दिवस आयोजित किये जाने के उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं हो पा रही। पेंशनर्स संगठनों से प्राप्त उक्त शिकायत पर शासनादेश संख्या–27/2018–सा–3–1014/दस–2018–944 88–टी0सी0–I, दिनांक 05.12.2018 द्वारा यह निदेशित किया गया है कि प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पेंशनर्स दिवस की अध्यक्षता या तो वे स्वयं करें या उनके द्वारा अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी को कार्यक्रम की अध्यक्षता हेतु नामित किया जाये। इसके साथ ही यह भी अपेक्षा की गई है कि जिलाधिकारियों के स्तर से जनपद में स्थित समस्त कार्यालयों को निर्देश दे दिये जायें कि पेंशनर्स दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वह स्वयं अथवा कार्यालय के किसी वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में पेंशनरों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करायें।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि कारपोरेशन स्तर पर भी प्रत्येक वर्ष 17 दिसम्बर को प्रत्येक जनपद पर पेंशन दिवस आयोजित कराये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि प्रत्येक सम्बन्धित डिस्कॉम के साथ मुख्य अभियन्ता कार्यालयों तथा प्रत्येक जिले के अधिशासी अभियन्ता कार्यालय जहा से पेंशनर्स के पेंशन सम्बन्धी कार्यों का निस्तारण किया जाता है, पर 17 दिसम्बर, 2018 को सक्षम अधिकारी के नियंत्रणाधीन पेंशन दिवस का आयोजन कराने का कष्ट करें ताकि पावर कारपोरेशन के पेंशनरों की पेंशनरी समस्याओं का त्वरित निस्तारण कराया जा सके।

कृपया तद्नुसार कार्यावाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि

भवदीया,

(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3

संख्या-13 /2015/सा-3-631/दस-2015-944/88

लखनऊ : दिनॉक : 24 जून, 2015

विज्ञप्ति

राज्य सरकार के पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं की जनपद स्तर पर सुनवाई एवं निराकरण हेतु प्रति वर्ष दिनॉक 17 दिसम्बर को एक बार पेंशनर दिवस पूरे प्रदेश में सभी जनपदों में आयोजित किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

2- पेंशनर दिवस जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित किया जायेगा, जिसका समन्वयन जनपद के मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा किया जायेगा। पेंशनर दिवस में जनपद के प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष भी प्रतिभाग करेंगे, ताकि पेंशनरों की ऐसी समस्यायें जिनका निराकरण कार्यालयाध्यक्षों द्वारा किया जाना है, की भी सुनवाई हो सके एवं उन पर समुचित कार्यवाही सुनिश्चित हो सके।

3- उपर्युक्त निर्धारित पेंशनर दिवस की तिथि का व्यापक प्रचार-प्रसार निदेशक, पेंशन, निदेशक, कोषागार एवं जनपद के कोषाधिकारियों द्वारा किया जायेगा, ताकि पेंशनर दिवस प्रभावकारी एवं सार्थक रूप से आयोजित हो सके।

राहुल भटनागर

प्रमुख सचिव।

संख्या-13/2015/सा-3-631(1)/दस-2015-944/88, तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2- निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।